राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : एफ.6(9)वित्त 1(1) आय–व्ययक/2017 *दिनांक :* 05.09.2017

:: परिपत्र ::

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी / विभागाध्यक्ष

विषय :– व्यय एवं प्राप्तियों का महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों से अंक मिलान (Reconciliation) समय पर किए जाने के संबंध में ।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, खण्ड–I , भाग –I के नियम 11(3) के अनुसार प्रत्येक बजट नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय से महालेखाकार द्वारा निर्धारित तरीके से व्यय/भुगतानों का अंक मिलान करने की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है। बजट मैन्युअल खण्ड–I के अध्याय 21 में व्यय तथा अध्याय 26 में प्राप्तियों के अंक मिलान बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर बजट नियंत्रण अधिकारियों को आय व व्यय के आंकड़ों का नियमित रूप से अंक मिलान कराये जाने के निर्देश दिये गये है तथा अंक मिलान के लिये निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की गयी है :–

अ – जयपुर स्थित नियंत्रणाधिकारी/विभागाध्यक्ष	अंक मिलान सम्पन्न किये जाने हेतु समयावधि
(i) माह अप्रेल के लेखों का अंक मिलान तथा आगे के महीनों का।	माह जून के प्रथम सप्ताह में तथा इसी क्रमानुसार आगे के महीनों का अंक मिलान उसके बाद आने वाले महीने के बाद के महिने के प्रथम सप्ताह में। यह कार्यक्रम फरवरी माह के लेखों तक के लिए निर्धारित है।
(ii) माह मार्च के लेखों का अंक मिलान।	महालेखाकार कार्यालय के द्वारा सूचित दिनांक तक।
ब – जयपुर के बाहर स्थित नियंत्रणाधिकारी/ विभागाध्यक्ष	**अंक मिलान सम्पन्न किये जाने हेतु समयावधि**
(i) माह अप्रेल से माह जुलाई तक के लेखों का अंक मिलान।	माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में।
(ii) माह अगस्त से अक्टूबर तक के लेखों का अंक मिलान।	माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में।
(iii) माह नवम्बर एवं दिसम्बर तक के लेखों का अंक मिलान।	माह फरवरी प्रथम सप्ताह में।
(iv) माह जनवरी एवं फरवरी के लेखों का अंक मिलान।	माह अप्रेल के प्रथम सप्ताह में।
(v) माह मार्च के लेखों का अंक मिलान	महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय द्वारा सूचित दिनांकों तक।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के समस्त प्राप्ति एवं व्यय के शीर्षो का अंकमिलान कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है किन्तु विभागों द्वारा अंकमिलान उपरोक्त निर्धारित समय अनुसार पूर्ण न कर वर्ष के अन्त में कार्य पूर्ण किया गया है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा अगस्त, 2017 तक (वर्ष 2017–18) के आंकड़ों का अंक मिलान (Reconciliation) संबंधी कार्य प्रारम्भ ही नही किया गया है।

बजटरी नियन्त्रण तथा प्राप्तियों व व्यय के सही लेखांकन हेतु सभी नियंत्रक अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा नियमित रूप से अंक मिलान कार्य संपादित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

\\10.68.50.13\2003\bo\cir18061.doc

अतः समस्त विभागाध्यक्षों /बजट नियंत्रण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणाधीन व्यय तथा प्राप्तियों से संबंधित समस्त बजट मदों का अंक मिलान (Reconcilation) कार्य महालेखाकार राजस्थान, जयपुर की लेखा पुस्तिकाओं में अंकित आंकडो से उपर्युक्त निर्धारित समय सारणी व जारी दिशा निर्देशों अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डी.बी.गुप्ता)

अति. मुख्य सचिव(वित्त)

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव को अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित कराने के अनुरोध के साथ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को विभागाध्यक्षों/नियंत्रण अधिकारियों के प्रतिनिधियों को अंक मिलान कार्य सम्पादन में सहयोग/सुविधाएं सुलभ कराने के लिए अपने कार्यालय के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने के अनुरोध के साथ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[परिपत्र संख्या 7/2017]